

विहार संस्कार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक २१ ३०-०८

संस्कृ-२/टी-२७/०७ ।२३।(२) / स्वास्थ्य विभाग के पश्चात झारखण्ड से विभिन्न होकर आये चिकित्सा पदाधिकारियों, श्रम विभाग द्वारा लौटायी गये रोगा के चिकित्सा पदाधिकारियों एवं अध्ययनोपरान्त प्रतिक्षेपत (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) चिकित्सा पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित जिलों में उनकी रोकर्ट सीधी जारी है :-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	बृह जिला	पदस्थापित जिला	प्रतिनियुक्ति स्थान / संस्थान
१	२	३	४	५
१	डॉ अरुण प्रसाद,	राया	मुगेर	झन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०ती०ए०३० पटना
२	डॉ मनोज कुमार	पटना	गंगा	—
३	डॉ राजनारायण दारा,	बैशाली	पटना	झन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०ती०ए०३० पटना
४	डॉ मौ० गीता अधितर	नालंदा	जगुरु	झन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०ती०ए०३० पटना
५	डॉ रेणुका	पटना	बैशाली	लज्जन्द नगर अस्पताल (आई० सैन्टर) पटना
६	डॉ मनोहर लाल गुप्ता	पटना	मुगुबनी	—
७	डॉ मीरा घटेल	गोका	मुजफ्फरपुर	पी०एम०ती०ए०३० पटना
८	डॉ अमृता प्रसाद	हजारीबाग	बैशाली	पी०एम०ती०ए०३० पटना
९	डॉ आशा सिंह	नागलपुर	समस्तीपुर	पी०एम०ती०ए०३० पटना
१०	डॉ कृष्णानन्द सिंह	पूर्णिया	भोपुर	झन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०ती०ए०३० पटना
११	डॉ सुरेन्द्र कुमार	नालंदा	गंगा	पी०एम०ती०ए०३० पटना
१२	डॉ(श्रीमती) कुमारी रिन्हा	रिवडह	मुजफ्फरपुर	पी०एम०ती०ए०३० पटना
१३	डॉ(श्रीमती) सुजाता प्रसाद	पटना	समस्तीपुर	—

14	डा० आलोक कुमार	गांगलपुर	मुजेहर	झिन्दा नौदी हृदय बीम संस्कार, पी०८५०८०१०४८० पटना
15	डा० राजेश कुमार	पटना	मुजफ्फरपुर	
16	डा० नवल किशोर शिंडे	मू० घम्पारण	रोहतास	

2. जिन विकिता पदाधिकारियों को सेवाओं जिले लो सीधी गयी है उनका पदस्थापन चरा जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अवश्यकता नाली रामित करेगी ।
3. अधिसूचना की तिथि से प्रतीक्षारत विकिता पदाधिकारी स्वतः दिरमित समझे जायेंगे ।
4. सभी प्रतीक्षारत विकिता पदाधिकारी संबधित जिलों के स्वित सर्जन के समक्ष तुरत योगदान देंगे ।
5. निलम्बन / न्यायालय के अन्यथा आदेश की सिध्दि में संबद्धित विकिता पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।
6. संबधित जिलों के स्वित सर्जन को निदेश दिया जाता है कि उनके जिला में पदस्थापित उक्त विकिता पदाधिकारी को पत्र प्राप्ति के तुरत बाद संबधित विकिता महाप्रधानों के प्राप्तार्थ के समक्ष योगदान देने हेतु विरोध कर देंगे । यह प्रतिनियुक्ति छः माह के लिए होती ।
7. प्रतिनियुक्ति अवधि में इनका वेतन भरता हृदयमि का भुगतान मूल पदस्थापन के स्थान से अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा ।
8. यह आदेश तुरत प्रभावी होगा ।

विहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार)  
सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक २५-१०-०३

आपाक - २/टी-२७/०७ - १२३१(२)

प्रतिलिपि - महालेखाकार, विहार, वीरबन्द फटेल पथ, पटना / निता (४१८०७५०५०) विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजालीय प्रेस, सुलभालयान, पटना को विहार राजपत्र के असाधारण अक्ष में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण विभाग, डार्कल्ड, रीची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी केंद्रीय उपनिवेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ / निदेशक, इनिदरा गोदी हृदय रोग संस्थान, पी०८५०८०१०४८०, पटना/सभी संबधित स्वित सर्जन / संबधित प्राचार्य/अधीक्षक, विकिता महाप्रधान अस्पताल / अधीक्षक, पी०८५०८०१०४८०, पटना / सभी संबधित जोगागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अम विभाग, विहार, पटना / कल्याण विभाग, विहार, पटना / महानिरीक्षक, अभियोजन, विहार, पटना / सभी संबधित विकिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - मत्री, स्वास्थ्य के आदा सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / संयुक्त सचिव के निजी सहायक / उप सचिव के निजी सहायक / विभागीय प्रशास्त्रा पदाधिकारी १,२,३,७ एवं १८ / कम्प्यूटर कॉम्प्लेक्ट को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव